पत्रांक 1प्रा0आ0–03 / 2010 .....1134/ आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,

प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

सुपौल, मधेपुरा, शिवहर, सहरसा, खगड़िया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, पूर्वी चम्पारण, बेगुसराय, भागलपुर (अति बाढ़ प्रवण 15 जिले)।

बक्सर, सारण (छपरा), नालन्दा (बिहारशरीफ), पूर्णियाँ, अररिया, पश्चिम चम्पारण, शेखपुरा, किशनगंज, पटना, भोजपुर, सिवान, लखीसराय, गोपालगंज (बाढ़ प्रवण जिले) एवं नवादा, मुंगेर, जहानाबाद, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल।

पटना–15, दिनांक– 27/03/15

विषयः संभावित बाढ़ 2015 की पूर्व तैयारियों के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रवण माने जाते है। इनमें से 15 अति बाढ़ प्रवण जिले हैं। परन्तु वर्ष 2013 में गंगा नदी में बाढ़ आने के कारण मुंगेर जिला भी बाढ़ से प्रभावित जिला रहा है। इसके अतिरिक्त स्थानीय नदियों यथा पुनपुन, फल्गू, कर्मनाशा एवं सोन नदी में पानी बढ़ जाने के कारण नवादा, जहानाबाद, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद एवं अरवल के भी कुछ हिस्से यदा–कदा बाढ़ से प्रभावित होते रहे है। अतः बाढ़ आने के पूर्व की तैयारियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पूर्व में आप सबको बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) भेजी गयी है, जिसमें अद्यतन आदेशों, परिपत्रों, अनुदेशों आदि का संकलन किया गया है। **विभागीय पत्रांक 1293 दिनांक 17.04.2012 एवं पत्रांक –728 दि0–20.02.13, पत्रांक –4154 दि0–18.09.2013, पत्रांक –4155 दि0–18.09.13, पत्रांक – 2066 दि0–16.06.2014, पत्रांक –3460 दि0–19.09.2014 द्वारा वर्ष 2010–2015 तक के लिए अद्यतन संशोधित मानदर को परिचारित किया गया है एवं किए गए संशोधनों को समेकित कर अद्यतन संशोधित सहाय्य मानदर की पुस्तिका जिलों को उपलब्ध करायी गयी है।** उक्त पुस्तिका एवं उपर्युक्त पत्रों को विभागीय वेबसाईट WWW.disastermgmt.bih.nic.in पर अपलोड करते हुए **Publication/ Circular** के अन्तर्गत रखा गया है । मानक संचालन प्रक्रिया एवं नए अद्यतन संशोधित मानदर के आलोक में बाढ़ पूर्व तैयारियाँ की जानी है।

इस संबंध में उठाए जाने वाले कदम निम्नांकित होंगेः–

1. **<u>वर्षा मापक यंत्र</u>**

वर्षा मापक यंत्रों की मरम्मति एवं उनको चालू हालत में रखा जाय। वर्षा मापक यंत्रों के रिडिंग हेतु प्रत्येक प्रखंड में 2 प्रशिक्षित कर्मियों का निर्धारण किया जाय, साथ ही वर्षापात् आंकड़े के त्वरित प्रेषण की व्यवस्था की जाय।

2. **<u>संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एवं संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की पहचान</u>**

बाढ़ प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों एवं संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की अद्यतन पहचान कर ली जाय। इस कार्य हेतु विगत वर्षों में आयी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्ति समूहों के आंकड़ों का उपयोग किया जाय। अनुसूचित जाति एवं